भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **320**
मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1941 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र का पुनरूद्धार किया जाना

320 श्री के.के. रागेश:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन क्षेत्र, जिसे कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा, का पुनरूद्धार करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा कया है; और

(ख) क्या पर्यटन क्षेत्र में लघु स्तरीय ऑपरेटरों के लिए कोई विशेष योजना विचाराधीन है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) : हितधारकों से प्राप्त सभी प्रस्तावों/सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और उन्हें नियमित आधार पर भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के समक्ष रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने और देश में पर्यटन क्षेत्र की बहाली के लिए समुचित सिफारिशें करने के लिए माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल में राज्य के पर्यटन मंत्री, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और एफ आई सी सी आई, सीआईआई, एसोचैम, डब्लू टी सी आई आई जैसे संगठनों के प्रतिनिधि तथा साथ ही साथ पर्यटन तथा आतिथ्य संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे।

(ख) भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों/ मंत्रालयों ने प्रोत्साहन पैकेजो की घोषणा की है जो निम्नानुसार हैं :

- आरबीआई ने आवधिक ऋणों पर स्थगन 31 अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है।
- सरकार ने उन संगठनों के लिए तीन महीने के लिए भविष्यनिधि योगदान में छूट दी है जिनके पास **100** से कम कामगार है तथा उनमे से **90%** कर्मचारियो के वेतन **15000** रुपए से कम है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत नियोजक तथा कर्मचारी दोनों के अगले 3 माह अर्थात सितंबर 2020 तक ई पी एफ ओ द्वारा कवर सभी संस्थानों के लिए पीएफ अंशदान को मौजूदा 12% से घटाकर प्रत्येक के लिए 10% कर दिया गया है।
- अक्टूबर 2020 तक टीसीएस का स्थगन

- 5 करोड़ रुपए तक की कंपनियों के लिए किसी दंडात्मक ब्याज के बिना 3 माह तक रिटर्न फाइल करना स्थगित किया गया और शेष के लिए 9% के दंडात्मक ब्याज का प्रावधान किया गया है।
- केंद्र सरकार ने व्यवसाय की निरंतरता और उत्थान सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट के मद्देनजर आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम तथा जी एस टी अधिनियम के अंतर्गत अलग-अलग अवधि के लिए विभिन्न विनियामक अपेक्षाओं से छूट भी दी है।

सरकार ने इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत एम एस एम ई के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का कॉलेटरल फ्री ऑटोमेटिक ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस पैकेज के अंतर्गत एम एस एम ई की परिभाषा को संशोधित किया गया है जिसके द्वारा विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के एमएसएमई के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। इससे पर्यटन क्षेत्र को लाभ होगा क्योंकि इस क्षेत्र की 70%- 80% इकाइयां एमएसएमई के अंतर्गत आती हैं।

****